ई-बिल:

सीआरपीएफ पीएफएमएस के साथ एकीकृत मोड में ई-बिलिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला संगठन है। ई-बिल पहली बार राजपत्रित अधिकारियों के लिए अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया था, बाद में नवंबर 2024 में इसे सभी रैंकों के लिए कार्यात्मक बना दिया गया। यह पहल सीआरपीएफ के भीतर बिलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने, प्रसंस्करण और अनुमोदन की अनुमति देती है।

विशेषताएँ:

• इलेक्ट्रॉनिक बिल जमा करना: व्यक्तिगत अधिकारी और कर्मी सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिल जमा कर सकते हैं।

• डिजिटल अनुमोदन: आहरण और संवितरण अधिकारी (डीए/एचओओ/डीडीओ) कागज-आधारित अनुमोदन को समाप्त करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिलों को मंजूरी और मंजूरी दे सकते हैं।

• डिजिटल हस्ताक्षर: बिलों की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रतियां प्रसंस्करण और भुगतान के लिए वैध प्राधिकरण के रूप में काम करती हैं।

• सुव्यवस्थित कार्य प्रवाह : बेहतर दक्षता के लिए बिलों को दोबारा जमा करना और ट्रैक करना आसान बनाता है।

फ़ायदे:

• कागज-आधारित प्रक्रियाओं और बिलों की भौतिक आवाजाही पर निर्भरता कम हुई ।

• बिलों के लिए तेज़ प्रसंस्करण और अनुमोदन समय।

• बिल प्रसंस्करण स्थिति में बेहतर ट्रैकिंग और दृश्यता।

• वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी।